# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

**वाद संख्या:– 94/प्रा0पत्र/2023** **दायरा दिनांक :–14.06.2023**

**GCMS ID–2023/284**

**1. राधेश्याम आ0 सकरा जाति माली निवासी पुराने चुंगी नाके पास, देवपुरा बून्दी तहसील हिण्डोली व जिला बून्दी राज0**

**प्रार्थी**

**बनाम**

**1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।**

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।**

**वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन**
**अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार**

**दिनांक :– 05/03/2025**

## निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 137 खसरा संख्या 1104/1025 रकबा 1.0522 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0522 हैक्टेयर वाके ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी तहसील जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 1104/1025 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से मौके की अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मौके के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2023 के कम्प्युटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 12.06.2023 को उक्त गलत तरमीम निरस्त करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से मिला परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी श्रीमान के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अन्दर अवधि प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम को ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खाते की भूमि खाता संख्या 137 खसरा संख्या 1104/1025 रकबा 1.0522 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.0522 हैक्टेयर वाके ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– राजस्व/24/1145 दिनांक 11.06.2024 में ग्राम मेण्डी के खसरा संख्या 1104/1025 रकबा 1.0522 हैक्टेयर भूमि राधेश्याम पिता सकरा जाति माली निवासी देवपुरा के नाम खातेदारी में नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा संख्या 843/1025 विक्रय से राधेश्याम द्वारा क्रय की गई जिसका नवीन नम्बर 1104/1025 रिकॉर्ड दर्ज है। खसरा संख्या 843/1025 की पूर्व तरमीम नक्शा लठ्ठा में अंकित है। वर्तमान खसरा संख्या 1104/1025 व 843/1025 एक ही खसरा 843/1025 के दो भाग हुए है जिसकी तरमीम डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत एक साथ नहीं होकर अलग–अलग की गई है उक्त दोनों खसरा नम्बरों के बीच में खसरा संख्या 843/1019 की तरमीम कर दी गई है, जिसके खातेंदार सुरेश कुमार ब्राहम्ण का कब्जा काश्त नहीं है। नजरी नक्शा में खसरा संख्या 1104/1025 को कब्जे अनुसार लाल पेन से दर्शाया हुआ है। पेरोकार सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में गलत हुई तरमीम को पटवारी हल्का जॉच रिपोर्ट अनुसार निरस्त कर वर्तमान कब्जे अनुसार किया जाना उचित होना जबाव में अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत **"सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"**

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

विवादित भूमि ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी के खाता संख्या 108 के ख.सं 1104 / 1025 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 108 के खसरा संख्या 1104 / 1025 ग्राम मेण्डी पटवार मण्डल मेण्डी की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 05.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

05/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446